न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 209/2020 – निगरानी

लेखराज जाट पुत्र जगदीश चन्द्र जाट निवासी ग्राम पण्डेर पंचायत समिति जहाजपुर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

बनाम

1. राधिका कंजर पत्नि सुनित कंजर निवासी कंजर कॉलोनी , पण्डेर तहसील जहाजपुर
2. ग्राम पंचायत पण्डेर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पण्डेर पंचायत समिति जहाजपुर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा
3. ग्राम पंचायत पण्डेर जरिये सचिव ग्राम पंचायत पण्डेर पंचायत समिति जहाजपुर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत पण्डेर बमामले पत्रावली संख्या 50 एवं पट्टा संख्या 28 दिनांकित 05/07/2019

उपस्थित –

1. श्री राजेश चौधरी अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. गैर निगराकार संख्या 01 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक 29.08.2022

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत पण्डेर पंचायत समिति जहाजपुर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा की आबादी भूमि में से गैर निगराकार संख्या 02 व 03 द्वारा गैर निगाराकार संख्या 01 को एक आवासीय भूखण्ड जवाहर नगर पण्डेर में नपती 30 फिट गुणा 45 फिट जिसके पडौस पूर्व में कृषि भूमि , पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में कल्लाली पत्नि ओमप्रकाश कंजर का प्लॉट एवं दक्षिण में पड़त आबादी भूमि है, का प्रस्ताव संख्या 03 से पट्टा संख्या 28 दिनांकित 05/07/2019 को राजस्थान पंचायतीराज के नियमो से परे जाकर विधि विरूद्व जारी किया जाकर उक्त आवासीय भूखण्ड आंवटित किया गया। निगराकार ग्राम पंचायत पण्डेर का निवासी होकर जागरूक नागरिक है और ग्राम पंचायत द्वारा किये जाने वाले सभी कार्यों एवं निर्णयो से प्रभावित होता है जिसकी ओर

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

से उपरोक्त वर्णित पट्टा संख्या 28, दिनांकित 05/07/2019 जो कि विधि विरूद्ध एवं नियमो से परे जाकर जारी किया गया है, जो अपास्त किये जाने योग्य हैं। गैर निगराकार संख्या 02 एवं 03 द्वारा गैर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम 158 के तहत जारी किया गया उपरोक्त वर्णित पट्टा विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से एवं पट्टा जारी किये जाने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पूर्णरूप से अवैध एवं अनियमित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। गैर निगराकार संख्या 01 आर्थिक रूप से सम्पन्न है और पूर्व में भी उसके एवं उसके परिवार के पास दो पक्के मकान एवं काफी कृषि भूमि है जिस कारण से नियम–158 के तहत रियायती दर से पट्टा प्राप्त करने की अधिकारीणी नहीं है। विवादित पट्टा जारी करते समय गैर निगराकार संख्या 01 की नियम 158 के तहत पात्रता की जांच नहीं की गयी ओर न ही पात्रता बाबत् किसी तरह का कोई स्पष्टीकरण पत्रावली में है। ग्राम पंचायत पण्डेर द्वारा उक्त पट्टा जारी किये जाने के संबंध में आपत्ति बाबत किसी तरह का कोई नोटिस आमजन के सूचनार्थ न तो किसी भी सार्वजनिक स्थान पर चस्पा किया गया था और न ही ग्राम पंचायत भवन पर चस्पा किया गया और न ही जिस जगह उक्त भूखण्ड अवस्थित है वहां चस्पा किया गया है ओर न ही किसी भी राज्य स्तरीय समाचार पत्र में कोई आम सूचना प्रकाशित करवाई गई। गैर निगराकार संख्या 02 व 03 द्वारा ग्राम पंचायत पण्डेर के आबादी भूमि में कई पट्टे जारी किये गये जो कि विधिविरूद्ध जारी किये गये जिस कारण पंचायत समिति जहाजपुर द्वारा भी उक्त बाबत् जांच की गई एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाडा को भी एक शिकायत उपरोक्त पट्टों के जारी किये जाने में अनियमितता एवं राजस्व की हानि पहुंचाने बाबत् की गई। पंचायत समिति ने अपनी जांच में तत्कालीन सरपंच एवं सचिव द्वारा जारी किये गये पट्टो को अवैध व नियमो के विपरीत पाया और तत्कालीन सरपंच विमल कंजर एवं ग्राम विकास अधिकारी (सचिव) के विरूद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की अनुशंषा की है। उक्त पट्टे की पत्रावली में जिन व्यक्तियों के समक्ष उक्त आवंटन का सार्वजनिक स्थान पर नोटिस चस्पा किये जाने का अंकन है वे ही व्यक्ति करीब–करीब सभी पट्टो में नोटिस चिपकाने के साक्षी है। उक्त पट्टों में जिनके सामने नोटिस चस्पा किया जाना बताया गया है उनके नाम के आगे न तो उनके पिता का नाम है और न ही उनके पते

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

है, जिस कारण उक्त पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। गैर निगराकार संख्या 02 व 03 द्वारा उक्त पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम–168 (2) की पालना नहीं की गई हैं नियम 168 (2) के अनुसार पट्टे की तीसरी प्रति पंचायत समिति में पेश करनी होती हैं जो की नहीं की गई जिस कारण उक्त पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्थान पंचायतीराज नियम 145 की पालना भी उक्त पट्टा जारी करने में नहीं की गई है। गैर निगराकार संख्या 01 द्वारा अपने आवेदन में कही पर भी प्रस्तावित क्रय भूमि का उल्लेख नहीं किया गया है। उक्त पट्टा जारी किये जाने में नियम 148 की पालना भी नहीं की गई है। नियम 148 के तहत नोटिस के बाबत आपत्ति एवं आक्षेप के संदर्भ में पत्रावली में किसी तहर का कोई अंकन नहीं है। उक्त पट्टे की पत्रावली में आज्ञाओ की सूची में जगह–जगह पर दिनांको में कॉट–छाँट हो रखी है जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त पत्रावली गैर निगराकारान की मिलाभगति से एक ही दिन में तैयार की गई है जो कि नियम विरूद्ध है और आवंटन नियमों के परे जाकर किया गया है। तत्कालीन सरपंच एवं सचिव द्वारा उक्त पट्टा जारी किया गया है और उक्त पट्टे के साथ अन्य और भी कई लोगों को पट्टे जारी किये गये। इस संदर्भ में मौका निरीक्षण कमेटी द्वारा दिनांक 10/3/2019 का मौका निरीक्षण किया जाना पत्रावली में अंकित है। यहां यह उल्लेखनीय है कि उक्त मौका निरीक्षण कमेटी द्वारा कई अन्य पट्टो में भी दिनांक 10/03/2019 का स्थल निरीक्षण किया जाना अंकित है और जारी किये गये पट्टों में से अधिकांश पट्टे दिनांक 05/07/2019 को जारी किया जाना बता रखा है। गैर निगराकारान द्वारा क्यूंकर उक्त पट्टे एक ही दिन में जारी किये गये जो समझ से परे है। राजस्थान पंचायतीराज नियम 141 के तहत पंचायत द्वारा किये जाने वाले सभी विक्रय निलामी के माध्यम से ही किये जायेंगे। उक्त बाबत पत्रावली में कोई भी उल्लेख नहीं है कि उक्त भूखण्ड का विक्रय निलामी के माध्यम से क्यों नहीं किया गया। इस प्रकार पट्टा जारी किये जाने में पूर्णरूप से अनियमितता बरती गई है। किसी भी अवैध एवं अनियमित कार्यवाही को निरस्त कराये जाने हेतु कोई मियाद नहीं है फिर भी निगराकार को जानकारी होने के पश्चात् निगराकार द्वारा उक्त पट्टो की पत्रावली की नकले प्राप्त की गई और कोरोना माहमारी होने से उक्त निगरानी अब पेश की जा रही है जो कि अन्दर अवधि है फिर भी कानूनी ऐतराज को रफा करने के लिये दफा 5

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

10/–रू. प्रति वर्गमीटर की दर से राशि 4,115/–रूपये रसीद संख्या 71/7 से जमा कर प्रश्नगत पटटा जारी किया जो विधि सम्मत होकर त्रुटि रहित प्रतीत होता हैं।

निगराकार ने निगरानी मेमों में अंकित किया कि पंचायत समिति ने अपनी जांच में तत्कालीन सरपंच एवं सचिव द्वारा जारी किये गये पट्टो को अवैध व नियमो के विपरीत पाया गया हैं।

किन्तु पत्रावली परीक्षण उपरान्त पाया गया कि निगराकार के उक्त कथन के आधार पर पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज अथवा जांच रिपोर्ट संलग्न नहीं हैं, जिससे जाहिर हो सके कि पंचायत समिति ने अपनी जाचं में प्रश्नगत पटटे की ही जांच की हो ? अथवा प्रश्नगत पटटा विधि विरूद्व जारी किया गया हो।

पत्रावली परीक्षण अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत पण्डेर ने मिसल पत्रावली कायम कर विधि अनुरूप पटटा संख्या 28 दिनांकित 05.07.2019 पारित किया, जिसमें कोई त्रुटि प्रतीत नही होती हैं। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार निगराकार की निगरानी तथ्यहीन, सारहीन एवं आधारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत तथ्यहीन, सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत पण्डेर पंचायत समिति जहाजपुर जिला भीलवाडा को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा